षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-09.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री मुनेश्वर चौधरी, स०वि०स० श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स० श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० श्री फराज फातमी, स०वि०स० श्री शमीम अहमद, स०वि०स० श्री हरिशंकर यादव, स०वि०स० श्री मो० नवाज आलम, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०	बिहार राज्य लघु खनिज नियमावली के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में बरसात के कारण बालू खनन का कार्य रोक दिया जाता है । खनन बन्द के दौरान पहले से जमा बालू स्टॉक से बालू बिक्री हेतु दुकानदारों को खुदरा लाइसेंस दिया जाता है, ताकि बालू की किल्लत नहीं रहे । इस वर्ष खुदरा लाइसेंस के लिए कुल 172 दुकानदारों ने आवेदन दिया परन्तु मात्र कुल 72 दुकानदारों को लाइसेंस निर्गत किया गया । इस कारण से बालू उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करने के साथ ही महंगे दामों पर बालू खरीदना पड़ेगा । अत: लोकहित में ज्यादा से ज्यादा खुदरा लाइसेंस देकर बालू की किल्लत को दूर करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	खान एवं भूतत्व

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स० श्री विजय कुमार 'विजय', स०वि०स० श्री सुबेदार दास, स०वि०स० श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स० श्री शाहनवाज, स०वि०स० श्री राहुल तिवारी, स०वि०स० श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, स०वि०स० श्रीमती रेखा देवी, स०वि०स० श्री संजय कुमार सिंह, स०वि०स०	सरकार भू-सर्वेक्षण और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भूमि संबंधी विभिन्न मामलों में पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है चाहे वह मालगुजारी जमा करना हो, खाता-खेसरा देखना आदि हो लेकिन अमीन और राजस्व कर्मचारी के अभाव में सरकार की सारी कोशिश विफल हो जा रही है । फलस्वरूप राज्य में भू-विवाद बढ़ते जा रहे हैं और न्यायालय पर अनावश्यक केसों का दबाव बढ़ने के साथ-साथ अपराध की घटनाएं भी बढ़ रही हैं । अमीन और राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति में लंबा समय लग रहा है । ऐसी स्थिति में राज्य में भू-विवादों पर नियंत्रण हेतु विकास मित्र एवं न्याय मित्र की तर्ज पर तत्काल राजस्व मित्र की बहाली आवश्यक है । अत: राज्य में राजस्व मित्र की नियुक्ति हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।	राजस्व एवं भूमि सुधार

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/19- 791 / वि०स०, पटना, दिनांक-08 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / खान एवं भूतत्व विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8/7/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/19- 791 / वि०स०, पटना, दिनांक 08 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

8/7/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।